(राजस्थान सरकार)

कार्यालय जिला परिषद्(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ),बांसवाड़ा

पता : कलेक्ट्रेट केम्पस बाँसवाड़ा (327001)
Ph. No : (02962) 240812 Fax – 248360 E-mail ID : pd-ban-rj@nic.in

कमांक – मुकाअ / जिपबां / ग्राविप्र / स्थापना / 2017–18 / 1701 दिनांक – 11/09/2017

–:: विज्ञप्ति ::–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान के अन्तर्गत श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास के पत्रांक एफ 11 (8) ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2016 / 93342 दिनांक 25.05.2017 के तहत कार्य सम्पादन के लिए निम्न रिक्त पदोनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सेवाएं संविदा अनुबन्ध (पूर्णतः अस्थाई) पर लिये जाने के लिए दिनांक 16.10.2017 (सोमवार) तक कार्यालय समय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांसवाड़ा में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	नाम मय पद	न्यूनतम योग्यता	एक मुश्त मानदेय	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधारी तथा कृषि इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक. डिग्रीधारी	अधिकतम 8000 / – रूपये एक मुश्त यात्रा भत्ता के रूप में 2000 / – एवं ग्रामीण कार्यभत्ता 3000 / – कुल रूपये 13000 / – प्रतिमाह एक मुश्त	125

कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के पदो का विवरण (अनुसूचित क्षेत्र) T.S.P.

क्र. सं.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु कुल पदों की संख्या	सामान्य (TSP)				अनुसूचित जनजाति (TSP)				अनुसूचित जाति (TSP)				निशक्त (TSP)	उत्कृष्ट खिलाडी (TSP)	भूतपूर्व सैनिक (TSP)
		सामान्य	महिला			सामान्य	महिला			सामान्य	महिला					
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	125	42	12	4	1	44	13	4	1	3	1	—	—	3	2	15

क्र.सं.	नाम मय पद	न्यूनतम योग्यता	एक मुश्त मानदेय	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	लेखा सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी.कॉम. / सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर) / कम्पनी सैकेट्री (इन्टर)	रू. 8000 / – प्रति माह	18

लेखा सहायकों के पदो का विवरण (अनुसूचित क्षेत्र) T.S.P.

क्र. सं.	लेखा सहायक हेतु कुल पदों की संख्या	सामान्य (TSP)				अनुसूचित जनजाति (TSP)				अनुसूचित जाति (TSP)				निशक्त (TSP)	उत्कृष्ट खिलाडी (TSP)	भूतपूर्व सैनिक (TSP)
		सामान्य	महिला			सामान्य	महिला			सामान्य	महिला					
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	18	—	—	—	—	12	4	1	—	1	—	—	—	—	—	2

(नोट – आवेदन की अंतिम तिथि तक उक्त डिग्री / डिप्लोमा उतीर्ण कर चुके अभ्यर्थी ही पात्र होंगे)

शर्ते –

1. **आयु सीमा** – दोनो पदों के आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थीयों को निम्नानुसार आयु सीमा में छुट देय है :– (1) राजस्थान राज्य के अजा/अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलयर) के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट। (2) राजस्थान राज्य की अजा/अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलयर) के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। (4) विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला के मामले में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नही होगी।
2. आरक्षण :–
   a. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 01.01.1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है।
   b. गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासी आवेदन के पात्र नही होंगे।
   c. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित. जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – एफ 13 (20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जावेगी।
   d. महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
   e. आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन रहेंगी।
   f. सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अजा या यथा स्थिति अजजा के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा।
3. आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उक्त सेवाओं के लिए अनुबंध दिनांक 28.02.2018 तक के लिए होगा तथा आवश्यकतानुसार अनुबंध बढाया भी जा सकेगा। सेवा असंतोषप्रद होने पर नियमानुसार अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
5. पदों की संख्या घटाई व बढाई जा सकेगी।
6. आवेदक द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ–साथ प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हो, कि स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
7. आवेदक जिले या योजना में ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो आवेदन करने योग्य नही होगा। इस हेतु प्रार्थी 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।
8. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, आयु, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, निवास स्थान का वर्तमान एवं स्थाई पता मय टेलिफोन व मोबाईल नं. आदि का अंकन स्पष्ट रूप से करना होगा तथा साथ ही समस्त अंक तालिकाएं एवं प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करेंगे। आवेदन फार्म कार्यालय जिला बांसवाड़ा की वेबसाईट www.banswara.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
9. आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 16.10.2017 होगी। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा। डाक द्वारा भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र उक्त तिथि तक कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांसवाड़ा में प्राप्त हो जाने चाहिये। डाक विभाग या अन्य किसी कारण से होने वाले विलम्ब के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी अत्तरदायी होंगे, आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र व योग्यता सम्बधी दस्तावेजों की मूल प्रति से जांच कराने हेतु सूचित किया जावेगा तथा वरियता सूची कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
11. किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी न होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हे उपलब्ध अन्य (सामान्य) पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
12. कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जावेगा, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में नियोजित किया जा सकेगा।
13. T.S.P. क्षेत्र के निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। इन अभ्यर्थियों को संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अन्तर्गत टी.एस.पी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसका स्पष्टीकरण – अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है। जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी है और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है।
14. कनिष्ठ तकनीकी सहायक की वरीयता तैयार करने का आधार निम्नानुसार रहेगा। (1) डिप्लोमा के 3 अंक/डिग्री के 5 अंक (2) राजकीय कार्य में अनुभव के एक वर्ष का 1 अंक, दो वर्ष का 2 अंक एवं तीन वर्ष या अधिक के 3 अंक (3) डिप्लोमा या डिग्री के प्राप्तांको के 10% अंक (डिप्लोमा व डिग्री दोनो होने पर डिग्री के प्राप्तांकों का 10% की गणना की जायेगी) (4) कम्प्यूटर ज्ञान के 2 अंक **नोटः**– कम्प्यूटर ज्ञान हेतु अभ्यर्थी "RSCIT" प्रमाण पत्र धारक या "O" लेवल मान्यता प्राप्त संस्था से या उच्चतर प्रमाण–पत्र।

15. लेखा सहायक की वरीयता तैयार करने का आधार निम्नानुसार रहेगा (1) बी.कॉम के 5 अंक (2) सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कम्पनी सैकेट्री (इन्टर) – 3 अंक (3) एम.कॉम – 2 अंक (4) राजकीय कार्य में अनुभव के एक वर्ष का 1 अंक, दो वर्ष का 2 अंक एवं तीन वर्ष या अधिक के 3 अंक (5) बी.कॉम डिग्री/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कम्पनी सैकेट्री (इन्टर) के प्राप्तांको का 10% अंक (6) कम्प्यूटर ज्ञान के 1 अंक नोटः– कम्प्यूटर ज्ञान हेतु अभ्यर्थी "RSCIT" प्रमाण पत्र धारक या "O" लेवल मान्यता प्राप्त संस्था या उच्चतर प्रमाण–पत्र।

16. चयनित किये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायकों/लेखा सहायकों से अनुबन्ध किये जाने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज यथा अंक तालिका/डिग्री, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किये जावेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उत्तर पूर्व राज्यों एवं अन्य राज्यों के फर्जी संस्थानों से तो नही प्राप्त किये है।

17. चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अनुबन्ध अवधि, पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तो का उल्लेख होगा।

18. किसी प्रकार का विवाद होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय मान्य होगा।

19. आवेदन ऑफलाईन ही स्वीकार्य है। ऑनलाईन आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

20. कनिष्ठ तकनीकी सहायक/लेखा सहायकों के संविदा आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापित किये गये पदों पर अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में आने के पश्चात भी नियुक्ति के संबंध में योजना में प्रशासनिक व्यय मद में उपलब्ध राशि के आधार पर नियुक्ति करने/नही करने का पूर्ण विशेषाधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक बांसवाड़ा का रहेगा।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक, बांसवाड़ा

कमांक – मुकाअ/जिपबां/ग्राविप्र/स्थापना/2017–18/ 1701 दिनांक – 11/09/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय जयपुर।
2. श्रीमान आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बांसवाड़ा को वेबसाईट पर विज्ञप्ति अपलोड करने हेतु।
5. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।
6. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट/कार्यालय हाजा/जिला परिषद, बांसवाड़ा।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक, बांसवाड़ा